महिलाओं का आरक्षण ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. के अनुपातिक आधार पर हो।

असंगठित क्षेत्र में पत्थर तोड़ने वाले मजदूर जो विंध्याचल या राजस्थान की पहाड़ी में पत्थर तोड़ते हैं, अनुसूचित जनजाति आदिवासी हैं। पत्थर तोड़ते समय निकलने वाले सिलिका से वे टी.बी. रोगी हो जाते है और वे युवा अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते है। लड़कियां युवा अवस्था में विधवा हो जाती हैं। जंगलों से लकड़ी बीन कर लाती हैं। बाजार में बेचती हैं। तब जाकर घर में खाना बनता है। यह दशा चित्रकूट मानिकपुर उ.प्र. विंध्याचल पर्वतमाला में देखी जा सकती है। इन विधवाओं और उनके परिवारों को स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल और शिक्षा तथा आवास हेतु आर्थिक पैकेज जारी किया जाये।

सरकार को शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए जरूरी है कि पहले लोगों के दिलों की आवाज़ को सुने और फिर सुधार करे। यह आम लोगों की धारणा है कि सत्ता में बैठे लोग देश भर में न केवल अपने राजनैतिक विरोधियों का, बल्कि तमाम निर्दोष गैर राजनैतिक व्यक्तियों का भी उत्पीड़न कर रहे हैं और सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया जा रहा है।

देश में साम्प्रदायिक सद्भावना को स्थापित किया जाना जरूरी है, क्योंकि आज सरकारी नीतियों के कारण एक ऐसा माहौल बन गया है, जहां चारों ओर लूट ही लूट है। देश में अहिंसा की जगह हिंसा, आत्म सम्मान की जगह चाटूकारिता, भाईचारे की जगह नफरत, सादगी की जगह विलासिता ने ले ली है। सारा देश सत्ता के संरक्षण में अराजकता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए हम सबको धर्मनिरपेक्षता और लोकतन्त्र के प्रति निष्ठा रखते हुए देश के गरीब वर्ग के लिए कार्य करना होगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सम्मानीय सभा के सभी सदस्यों के साथ आदरणीय राष्ट्रपति जी का इतना विचारोत्प्रेरक अभिभाषण देने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री लालू प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं तथा कई अन्य गणमान्य लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

हमारे गणतंत्र में एकता की भावना के महत्व को मैं समझ सकता हूं। कौन–कौन से कार्य अभी हमें करने हैं और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें क्या–क्या करना चाहिये? श्री आडवाणी जी ने कहा था कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिये। यह बात मैं कुछ समय से कहता आ रहा हूं। मैंने विक्टर ह्यूगो का उद्धरण देते हुए वर्ष 1991 में कहा था "कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति ऐसे किसी कार्य को होने से रोक नहीं सकती है जिसका समय आ गया हो" और मुझे पूरा यकीन है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक राजनीति में भारत का एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरना एक ऐसी बात है जिसके साकार होने का समय आ गया है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने देश के इस अभीष्ट लक्ष्य को हासिल करने में योगदान दे रहे हैं।

सभी दलों के नेताओं के भाषणों का रूझान काफी रचनात्मक है तथा मेरे विचार से पहले माननीया अध्यक्ष तथा तदुउपरांत माननीय उपाध्यक्ष का एकमत से चुना जाना हमारे देश के लिए शुभ संकेत है। हमने एक नई शुरूआत की है। मेरी यही आशा और प्रार्थना है कि जब भी हमारी असंख्य राष्ट्रीय समस्याओं तथा सरोकारों की बात चले तो हम द्विदलीय भावना को अक्षुण्ण रखें जिससे हमारे देश को जूझना पड़ता है।

महोदया, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराना तथा बाद में सरकार का गठन किया जाना, वास्तव में भारतीय लोकतंत्र की एक भारी जीत है। हमारा अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना उचित हो सकता है। अनेक लोग जो यह मानते थे कि संसदीय लोकतंत्र भारत जैसे गरीब देश में सफल नहीं हो सकता है तथा संसदीय लोकतंत्र ऐसे किसी देश में तो बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकता हैं जहां मतदाता इतने अनपढ़ हों जैसा हमारे देश की स्थिति है। हमने लोगों को इसके बारे में लिखते हुए देखा है। मुझे याद आता है कि वर्ष 1960 में 'न्यूयार्क टाइम्स' के भारत में रह रहे संवाददाता एस. हैरीसन ने वापिस अपने देश जाकर इंडिया; दा मोस्ट डेन्जरस डिकेड्स" नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने वर्ष 1970 के दशक के अंत तक भारतीय संघ का अन्त होने का पूर्वानुमान लगाया था।

हमने नाश और विनाश के संबंध में भविष्यवाणी करने वाले इन सभी लोगों की बातों को गलत सिद्ध कर दिया है तथा हमारे गणतंत्र ने दिखा दिया है कि उसमें आगे बढ़ने की शक्ति है।

महोदया, मेरा पूर्ण विश्वास है कि लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे में भारत का सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, विधि के शासन के प्रति प्रतिबद्ध खुला एक समाज सभी मौलिक मानव अधिकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की प्रतिबद्धता विश्व इतिहास की एक ऐसी घटना हैं जो यदि सफल हो जायेगी तो तीसरे विश्व के सभी देशों में विकास की प्रक्रिया के गहरे प्रभाव पड़ेंगे।

लाखों–करोड़ों लोगों की आबादी वाले इस देश के संबंध में लोग इस बात से आश्चर्य चकित हैं कि जहां विभिन्न भाषायें बोली जाती हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं तथा विभिन्न जातियां हैं फिर भी वे एक साथ आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इस बात से हमारे देश को काफी प्रशंसा मिली है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान मैंने यह बात महसूस की है क्योंकि मैंने विश्व के विभिन्न भागों की यात्रा की है।

यह हमारा सौभाग्य है तथा साथ ही परम कर्तव्य भी है कि हम अपने विशाल गणतंत्र की लोकतांत्रिक बुनियाद को सुदृढ़ करें।

इस पूरी व्यवस्था में कुछ खामियां है। अतः अपनी तारीफ करते हुए हमें उन कमियों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। वे कमियों हैं चुनाव में धनशक्ति तथा बाहुबल का बढ़ता प्रयोग। मेरे विचार से ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक ठाक रखने हेतु निपटने की आवश्यकता है।

यदि हमें सफल होना है तो हमें एक दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम ऐसे दलों तथा व्यक्तियों को जो धर्म अथवा जाति के आधार पर हमारे देश को बांटना चाहते हैं, प्रोत्साहित नहीं करेंगे।

हमें उन लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए जो अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हिंसा को साधन बनाते हैं। मेरा विश्वास है कि हम सभी को सामाजिक और आर्थिक विकास जो एक निर्धन देश के लिए अत्यंत अनिवार्य है, सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, ताकि इसका लाभ अनिवार्य रूप से समाज के सभी वर्गों, संघ के सभी राज्यों समस्त समुदायों और संपूर्ण जनता को मिले।

मैंने लालू जी को बिहार की विशेष समस्याओं का उल्लेख करते हुए सुना है। मैं उन्हें और माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हमारे देश के पिछड़े क्षेत्र जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उन पर ध्यान देना हमारी प्राथमिकता होगी क्योंकि हम विकास से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। लोकतंत्र एक सुंदर वृक्ष है, परंतु प्रतिस्पर्धी राजनीति के दबाव में सभी आधुनिक लोकतंत्र अल्पावधि उद्देश्यों को अपनाने को प्रवृत है; अक्सर दीर्घावधि सरोकारों और मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि दिया जाना चाहिए। यदि भारत को अपने विकास का उद्देश्य प्राप्त करना है तो हमें अवश्य ही दीर्घावधि दृष्टिकोण अपनाना होगा। मैं आशा करता हूं कि हम दीर्घावधि दृष्टिकोण अपनायेंगे, और यह दृष्टिकोण तथा इन दीर्घावधि सरोकारों को पूरा करने की इच्छा और साहस हमारे गणतंत्र के उन संस्थापकों के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने हमें भारत का इतना शानदार संविधान दिया हैं।

महोदया, हमारी सरकार को जो जनादेश मिला है हमने उसे पूरी विनम्रता से स्वीकार किया है, इसमें बड़ी–बड़ी बातें करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम मानते हैं कि इस जनादेश ने हम सब पर जिम्मेदारी भी डाल दी है कि हम देश को एक मजबूत, उद्देश्यपरक, स्थिर तथा एक ऐसी सरकार दें जो सर्वसमावेशी विकास की प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए प्रतिबद्ध हो। जैसा कि स्वयं माननीया राष्ट्रपति जी ने अपने शानदार अभिभाषण में यह स्वीकार किया है कि यह एक ऐसा एजेंडा है जो हमें अगले पांच वर्षों तक हर दिन व्यस्त रखेगा। अतः यह जनादेश स्थायित्व, निरंतरता के साथ–साथ परिवर्तन, समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता, समाज विकास और धर्म निरपेक्ष तथा बहुलवादी भारत के स्वरूप के परिरक्षण और संरक्षण के प्रति वचनबद्धता के लिए है।

महोदया, हम इनमें से प्रत्येक मोर्चे पर समन्वित प्रयास करेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण ने हमें वह दिशा दी है जिस पर हम आगे बढ़ेगें। हम रोजगार, शिक्षा, ग्रामीण और कृषि विकास, स्वास्थ्य के अपने अग्रणी कार्यक्रमों को और सुदृढ़ बनायेंगे तथा और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जन सेवा परिदान प्रणाली में सुधार लायेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि काफी कार्य किया जा चुका है, परंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम अपने कार्य में तेजी लाने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देंगे।

महोदया, हम मानते हैं कि इस विशाल कार्य को करने के लिए यदि केन्द्र और राज्य और पंचायती राज संस्थानों का तीसरा स्तर सहयोग और सौहार्द की भावना से कार्य नहीं करेंगे तो विकास का एजेंडा सफल नहीं हो सकेगा। महोदया, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राज्यों, पंचायती राज संस्थानों के साथ कार्य करते समय हम निष्पक्षता के आधार पर कार्य करेंगे। किसी भी ऐसे राज्य के प्रति कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा जिसमें दिल्ली की सत्ता से इतर पार्टियों का शासन है। मेरा यह वायदा हैं मैं सभी मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय विकास परिषद में एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि व्यापक रूप से विकास और समावेशी विकास एजेंडा, जो माननीया राष्ट्रपति ने हमारी जनता के समक्ष रखा है, को ईमानदारी से कार्यान्वित किया जा सके।

महोदया, माननीया राष्ट्रपति जी ने जिन कार्य नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख किया है मैं उनके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार के रूप में हमारा मूलभूत कार्य क्या है। मैं हमेशा इस बात में विश्वास रखता हूं और यहां पर मैंने हमारे गणतंत्र के संस्थापकों महात्मा

गांधी, जवाहर लाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी से प्रेरणा ली है, जिन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि जब तक हमारे देश में गरीबी रहेगी तब तक हमारी स्वतंत्रता अधूरी रहेगी।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह सपना था कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से आंसू पोछे जाएं। हम आज तक इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएं। परंतु यह एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो देश की जनता को गरिमामय जीवन और आत्म सम्मान देने के लिए हमारी सरकार का मार्गदर्शन करेगा।

यदि हमारे लोगों को स्वास्थ्य खराब रहे, यदि वे निरक्षर हों, यदि पर्यावरण संरक्षण उपायों की व्यवस्था न की जाए, यदि हमारे देश की भूमि और जल संसाधनों तथा हमारे देश के नदी संसाधनों का निर्बाध क्षरण जारी रहे तो विकास अर्थहीन है। इसलिए हम अपने आपको विकास की इस सर्वसमावेशी अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध करते हैं जिसमें विकास का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचे तथा जहां हमारे गौरवमय गणतंत्र के सभी नागरिकों को अपनी महत्वकांक्षाएं पूर्ण करने का समान अवसर मिले। यह आसान नहीं है लेकिन मुझे विश्वास है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण वे साधन हैं जिनके माध्यम से हम अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता कर सकते हैं। लेकिन यह सब करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और पैसा पेड़ों पर नहीं लगता हैं यदि हमें अपने फ्लैगशिप कार्यक्रमों में निवेश करना हो तो हमें और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से, पिछले पांच वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 8.6 प्रतिशत की दर से बढ़ती रही है। इससे हमारे राजस्व में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। हम कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण पर और अधिक संसाधनों को खर्च करने में सफल रहे हैं।

अभी हाल ही में पिछले एक वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय मन्दी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। हमारी विकास दर जो पिछले चार वर्षों के दौरान 9 प्रतिशत रही थी, गिरकर 7 प्रतिशत रह गई है। हम परस्पर निर्भर वैश्विक अर्थव्यवस्था के युग में जी रहे हैं और मैं आपसे यह वायदा नहीं कर सकता कि वैश्विक घटनाओं का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात से आश्वस्त हूं क्योंकि हमारी बचत दर काफी अधिक अर्थात् 35% है। यदि विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार न हो तो तब भी हमारी सामूहिक इच्छा को देखते हुए और यदि हम सभी मिलजुल कर कार्य करें तो 8 से 9 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की जा सकती है। यह दर्शाता है कि हम कम से कम 7 प्रतिशत की विकास दर को बरकरार रखेंगे। इतने कम समय में हम इससे बेहतर कार्य नहीं कर सकते है। लेकिन यह काफी नहीं है। इसलिए, हमारी सरकार की महत्वकांक्षा यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में चाहे कुछ भी होता रहे, हमारे देश में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह अपनी रीति–नीति इस ढंग से तय करे कि हमारी अर्थव्यवस्था 8 से 9 प्रतिशत वार्षिक की विकास दर से आगे बढ़े। मुझे भरोसा है कि इस सम्मानित सभा के सभी वर्गों के सहयोग से ऐसा किया जा सकता है। यही वह दिशा है जिसकी ओर हमें कदम बढ़ाने होंगे।

मैं जानता हूं कि राजकोषीय प्रणाली पर दबाव आ गया है। राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुई है लेकिन मेरा यह मानना है कि अवधि में इस सबके बावजूद हमारे पास अपने फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर और अधिक संसाधन खर्च करने की गुंजाइश है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी जब अपना बजट प्रस्तुत करेंगे तब वे इस संबंध में सरकार की रणनीति का खुलासा करेंगे।

लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम अपनी तरह से खर्च करके समृद्ध नहीं हो सकते। वर्तमान स्थिति में सरकारी खर्च विशेषकर अवसरंचना परियोजनाओं पर खर्च न बढ़ाए जाने की काफी गुंजाइश है और इसके कारण मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। इससे केवल विकास वृद्धि की क्षमता को बल मिलेगा और मेरा यह मानना है कि विश्व के बहुत से देशों को अपनी चपेट में लेने वाली अंतर्राष्ट्रीय मंदी से निबटने का यही सबसे सही रास्ता है।

विश्व की अर्थव्यवस्था भारत जैसे विशाल देश के प्रबंधन से जुड़ी हुई है। कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कारक हैं जिनका हम पर प्रभाव पड़ता है। सुरक्षा मामलों में भी कुछ हलचलें हो रही हैं जो विकास की प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती हैं। यदि आतंकवाद पर काबू नहीं पाया गया और यदि वामपंथी, उग्रवाद का हमारे देश के महत्वपूर्ण भागों, जहां खनिजों के प्राकृतिक संसाधनों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की प्रचुरता है, में फलना–फूलना जारी रहता हैं तो उससे निवेश का परिवेश निश्चित रूप से प्रभावित होगा। इसलिए सरकार में रहते हुए हम आतंकवाद पर काबू पाने के लिए वह सब करने के लिए कटिबद्ध हैं जितना हमारे वश में है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने आतंकवाद के लिए 'जीरो टोलरेन्स' का उल्लेख किया। इसी प्रकार वामपंथी चरमपंथ से निबटने के लिए हमें दिग्भ्रमित युवाओं को भी यह समझाना होगा कि बन्दूक की हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है और हमारी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था उनको मत पत्र के माध्यम से अपने सरोकारों को व्यक्त करने का विकल्प मुहैया करवाती है और हमने विगत में देखा कि पहले जो विद्रोही थे वे शासक बनने में सफल रहे है। यही हमारे गणतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की विशेषता है। इसलिए इन चरमपंथी तत्वों से निबटने के लिए हमें दो मोर्चों पर जूझना पड़ेगा। हम हिंसा को कुछ पाने का जरिया नहीं बनने दे सकते हैं। इसके साथ ही हम यह मानते हैं कि एक विशेष परिवेश में हिंसा पनपती है और यह सुनिश्चित करना

हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक असन्तोष के कारण बहकावे में आकर लोग प्रभावित लोगों की जमात में न शामिल हो जाएं। इसलिए इन दोनों मोर्चों पर काम होना चाहिए और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने तथा साथ ही यह सुनिश्चित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि विकास के लाभ हमारे समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिले।

मैं यह जानता हूं कि हमारे देश में जनजातीय आबादी को पूरा न्याय नहीं मिला है। जिस तरह से हम जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कर रहे हैं और हम ऐसे अधिकारियों को जिनकी इन दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने में रूचि नहीं है, को वहां भेज रहे हैं, उससे संसाधनों के प्रवाह की समुचित निगरानी नहीं हो पाती है और संसाधनों को खर्च करने में समुचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है कि कम से कम मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्रों हेतु विकास की रणनीति की नए सिरे से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

मैं वादा करता हूं कि हमारी सरकार जनजातीय समुदायों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हमने पिछले पांच वर्षों में कुछ कदम उठाए है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम जो वनवासियों को अधिकार प्रदान करता है, इस दिशा में उठाया गया एक कदम है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जनजातीय क्षेत्रों में असंतोष, जो प्रायः नक्सलवाद अथवा वामपंथी उग्रवाद का कारण बनता है, पर काबू पाने के लिए आर्थिक और सामाजिक मोर्चों पर और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

माननीय नेता, प्रतिपक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि 26 नवम्बर को मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किए गए जांच आयोग ने कतिपय खामियों के लिए केन्द्र सरकार को दोषी ठहराया है। जैसा कि संसद सदस्य जानते हैं कि उस दिन की घटनाओं और जिस प्रकार राज्य सरकार ने हमले का जवाब दिया था की जांच करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दो सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था। मैं समझता हूं कि जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। राज्य सरकार के गई कार्यवाही प्रतिवेदन के साथ इस रिपोर्ट को महाराष्ट्र विधान सभा में निश्चित रूप से प्रस्तुत करेगी। इसलिए इस समय राज्य विधान सभा के सभा पटल पर रिपोर्ट को औपचारिक रूप से रखे जाने से पहले इसके बारे में टिप्पणी करना संभव नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रतिवेदन के बारे में निकाले गए निष्कर्षों पर टिप्पणी करने से बचना चाहूंगा।

तथापि, मैं भविष्य में ऐसे आतंकवादी हमलों के विरुद्ध चौकसी और कड़ी करने के लिये नवम्बर, 2008 से उठाये गये अनेक कदमों के बारे में सभा को जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि 26 नवम्बर के हमले को अंजाम देने वाले अपराधी समुद्र के रास्ते आये थे। हम सभी को इस प्रकार के हमलों के प्रति अपनी कमजोरी के बारे में पता था तथा हमने पहले से ही अनेक कदम उठा लिये थे, परंतु निस्संदेह ये कदम अपर्याप्त थे। हमने अपनी समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु अनेक प्रयास किए हैं, जिसमें हमारी नौसेना की पूर्ण निगरानी में तट–रक्षक के अंतर्गत एक समुद्री कमान्ड की स्थापना करना शामिल है।

हमने तट–रक्षक तथा नौसेना को अनुपूरित करने के लिए समुद्री पुलिस स्टेशनों की संख्या में वृद्धि की है। उसके साथ–साथ और अनेक कदम उठाये गये हैं। परंतु मैं ऐसे कुछेक कदमों का उल्लेख करूंगा। आसूचना संबंधी जानकारी के आदान–प्रदान में सुधार भी उनमें से एक कदम है। उसके लिए स्थापित बहु–एजेंसी केन्द्र अब पूरी तरह से कार्यरत है तथा अनेक राज्यों में सहायक बहु–एजेंसी केन्द्रों का गठन किया गया है। इस प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा। कार्यवाही करने लायक सभी आसूचना संबंधी जानकारी ऑन–लाइन अंतरण हेतु 'नेट–सैंट्रिक इंन्फारमेशन कमाण्ड अवसंरचना को सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित किया जा रहा है। साथ ही कार्यवाही करने लायक आसूचना संबंधी जानकारी को एकत्र करने को वरीयता दी गई है तथा इस प्रयोजन हेतु उपाय किये गये है। आसूचना प्राप्त करने हेतु तकनीकी नवीन प्रक्रियाओं तथा तकनीकी वस्तुओं को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। आसूचना विश्लेषण की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में भी अनेक कदम उठाये गये हैं। गंभीर आतंकवादी अपराधों की जाचं करने की जिम्मेदारी अब मुख्य रूप से नव–गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी की होगी।

अतिरिक्त कानूनी उपाय किए गए हैं इनमें नये राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम (एनआईएएक्ट) के अतिरिक्त विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं। गृह मंत्री जी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं तथा उन्हें इन दो नए कानूनों के विशिष्ट पहलुओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

महोदया, मुम्बई में 26 नवम्बर 2008 को हुए आतंकवादी हमलों के पश्चात् समर्पित आतंकवादियों से निपटने हेतु गठित समर्पित बलों को और सुदृढ़ किया गया हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड देश में आतंकवादियों के विरुद्ध जवाबी कार्यवाही करने वाला मुख्य बल है। इसकी क्षमता में सुधार करने, इसे बेहतर गतिशीलता प्रदान करने तथा अत्याधुनिक

उपकरणों से सुसज्जित करने हेतु बड़ा प्रयास किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कम से कम चार नये एन.एस.जी. हब बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, आतंकवादियों के विरुद्ध जवाबी कार्यवाही करने वाले कुछ अन्य समर्पित बलों को बनाये जाने की मांग की गई है।

महोदया, यह कहने की बात नहीं कि मुश्किल भरे समय की दोनों चुनौतियां जैसे कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भ में तथा हमारे लोगों की भलाई हेतु हमारी पहुंच के भीतर अद्वितीय अवसर हमें सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक साथ कार्य करने की ओर निर्देशित करते हैं। मैं विपक्ष के माननीय नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इन दोनों मुद्दों पर अपना समर्थन दिया। अतः सरकार की ओर से मेरा यह कर्तव्य है कि मैं एकता की भावना को और सुदृढ़ करूं। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि हमारे मतभेद देश के सामने विद्यमान चुनौतियों के सामने मिट जाते हैं।

महोदया, मैं अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों के बारे में कुछेक शब्द कहना चाहता हूं। हम ऐसे पड़ोसी देशों के साथ रह रहे हैं जहां काफी अशांति है। मेरा विश्वास कि भारत तब तक अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि दक्षिण एशिया में शांति और समृद्धि का माहौल न हो और यदि हमारे पड़ोसी देशों में अस्थिरता और अशांति है, तो उसका हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जो कि सतत वृद्धि तथा विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, के विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसीलिये, मेरे पास परिवर्तित दक्षिण एशिया हेतु ऐसी दूरदर्शिता है, जिसके माध्यम से हम अपने सभी पड़ोसी देशों के सहयोग के साथ गरीबी से समृद्धि में, अज्ञानता से ज्ञान संपन्न समाज में तथा असुरक्षा से स्थायी शांति की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में रह रहे डेढ़ बिलियन लोगों का भविष्य दाव पर लगा है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमें पाकिस्तान के साथ शांति बनाये रखने के लिए पुनः प्रयास करना चाहिये और यही हमारे हित में है। मेरा मानना है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। निःसंदेह इस दिशा में कतिपय अवरोध हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान सरकार ऐसा वातावरण तैयार करेगी, जिससे हम अपने उस स्वप्न को पूरा कर सकेंगे। मुझे आशा है कि पाकिस्तान की सरकार अपने प्रादेशिक क्षेत्रों को भारत अथवा भारतीय हितों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आतंकवादी कृत्यों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगी तथा मुम्बई हमले के दोषियों सहित भारत में किए गए विगत सभी अपराधों के दोषियों को सजा दिलाएगी। मेरा विश्वास है कि इस प्रकार की कार्यवाही का दोनों देशों के लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा। यदि पाकिस्तान के नेताओं में शांति हेतु हिम्मत, इस रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प तथा राजनीतिक सूझबूझ है, तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भी बढ़चढ़ कर उनके साथ होंगे।

मुझे श्रीलंका के बारे में कुछेक शब्द कहने चाहियें। हमारे श्रीलंका के लोगों के साथ सदियों पुराने संबंध हैं तथा हमें उस देश में रह रहे तमिल लोगों के हितों की भी पर्याप्त चिंता है। तमिल समस्या एल. टी. टी. ई. से भी काफी बड़ी है तथा मुझे विश्वास है कि श्रीलंका सरकार तमिल लोगों की वैध चिंताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होगी, ताकि वे सामान्य नागरिक के रूप में प्रतिष्ठा तथा सम्मान के साथ वहां रह सकें। हम श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा राहत में सक्रिय रूप से भाग लेते आ रहे हैं तथा हमने इस प्रयोजन हेतु पहले ही 500 करोड़ रुपये की धनराशि देने की बात की है। हम सामान्य स्थिति बहाल करने तथा इन लोगों के अपने घरों तथा व्यवसायों में वापिस जाने हेतु जो कुछ भी हमसे संभव होगा, करने को तैयार हैं।

इस सदन तथा दूसरे सदन में माननीय सदस्यों ने आस्ट्रेलिया में हुए घटनाक्रम के बारे में चिंता व्यक्त की है। महोदया, आस्ट्रेलिया भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक प्रमुख स्थल बन गया है। कई अन्य माननीय सदस्यों की तरह, जिन्होंने इस सभा में अपने विचार व्यक्त किए हैं, मुझे भी वहां की हिंसक घटनाओं ने व्यथित किया है तथा अपराध तथा इनमें से कतिपय घटनाएं आस्ट्रेलिया में हमारे विद्यार्थियों के विरुद्ध नस्लवाद से प्रेरित है। इस संबंध में मैं आस्ट्रेलिया में उच्चस्तरीय अधिकारियों से वार्ता करने की पेशकश करता हूं ताकि स्थिति का सही सही जायजा लिया जा सके और भारतीय विद्यार्थियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करायी जा सके।

महोदया, मैंने पहले ही इस विषय के संबंध में आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रूड्ड से बात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भारतीय विद्यार्थियों पर होने वाले किसी भी नस्लवादी के हमले से सख्ती से निपटा जायेगा। उन्होंने संसद में एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने इन हमलों की निंदा की और उन पर खेद प्रकट किया तथा यह भी कहा कि ये हमले अस्वीकार्य हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आस्ट्रेलिया एक बहु–संस्कृति वाला राष्ट्र है, जो विविधता का सम्मान करता है तथा उसे अपनाता है। उन्होंने यह कहा कि इनसे नियमानुसार पूरी ताकत से निपटा जायेगा।

महोदया, इस संबंध में मैं विद्यार्थियों के माता–पिता की चिंताओं की अनदेखी नहीं करना चाहता। तथापि, समाचार माध्यमों से मेरा अनुरोध है कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि वहां भारतीय मूल के आस्ट्रेलियाई नागरिकों की संख्या लगभग 2 लाख से ज्यादा है। हमें उनके हितों को ध्यान में रखना हैं और जाने–अनजाने मैं ऐसे हालात पैदा करने से बचना चाहिए जिससे भारतीय मूल के आस्ट्रेलियाई नागरिक

नस्लीय असहिष्णुता का निशाना न बनें। भारत और आस्ट्रेलिया के संबंध बहुत अच्छे हैं और विगत पांच वर्षों में हमने अपने इन संबंधों को और प्रगाढ़ करने का प्रयास किया है।

महोदया, मैं चीन के साथ संबंधों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने चीन के साथ हमारे संबंधों के मुद्दे को उठाया है और मैं कहना चाहता हूं कि चीन हमारा महत्वपूर्ण भागीदार है। चीन के साथ हमारे बहु–आयामी संबंध हैं। मैंने अक्सर यह कहा है कि चीन और भारत दोनों वैश्विक शांति, स्थायित्व और समृद्धि में योगदान देने के लिए अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। हमें चीन के साथ अपने संबंधों को विरोधात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए। हमारे व्यापक व्यापारिक संबंध हैं। हम वैश्विक मुद्दों, चाहें वह जलवायु परिवर्तन हो या आतंकवाद या जी–20 प्रक्रिया का मामला ही क्यों न हो, हम एक–दूसरे से परामर्श करते हैं और हमारी सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रति हमारे एक समान विचार हैं।

निस्संदेह, सीमा विवाद जैसे कुछ जटिल मुद्दे भी हैं। परंतु इस समस्या के समाधान के लिए एक तंत्र बनाने के संबंध में हमारी सहमति हो गई है। हम चीन के साथ सुदृढ़ और स्थायी संबंध बनाना चाहते हैं। यह दोनों देशों के पारस्परिक हित में है। गत पांच वर्षों में मैंने चीन के नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा की हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैंने अभी जो विचार व्यक्त किए हैं, वे भी उनसे सहमत हैं। परंतु चाहे चीन हो अथवा कोई अन्य देश, हम अपने राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और एकता सुनिश्चित करेंगे और हर तरीके से सुरक्षा बनाए रखेंगे। सभा को इस संबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

महोदया, राष्ट्रपति का अभिभाषण व्यापक हैं। मैं उठाए गए सभी मुद्दों का उत्तर नहीं दे सकता। चूंकि मैंने चर्चा सुनी और विश्व के अग्रणी देशों में भारत को अपना उचित स्थान दिलाने के लिए एक समग्र राष्ट्र के रूप में यहीं जिस प्रकार सभी पक्षों की ओर से एकजुटता दिखाई गई है उससे मैं अभिभूत हूं। देशवासियों द्वारा भी यहीं जनादेश दिया गया है जो एक परिवर्तन समग्र विकास तथा अपने शानदार गणतंत्र की धर्मनिरपेक्षता की नींव को सुदृढ़ करने के लिए हैं। इन्हीं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मैं सरकार की ओर से अपनी वचनबद्धता दर्शाता हूं तथा सभी माननीय सदस्यों को इस धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने कई संशोधन पेश किए हैं। क्या मैं मतदान के लिए सभी संशोधनों को सभा में एक साथ प्रस्तुत करूं अथवा कोई माननीय सदस्य किसी संशोधन विशेष को पृथक रूप से पेश करना चाहता है।

अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए
और अस्वीकृत हुए।

अब मैं प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :–

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण, जो उन्होंने **4** जून, **2009** को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है के लिए उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.44 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हम नई सरकार के गठन के साथ 1 जून, 2009 से आरंभ हुए पन्द्रहवीं लोक सभा के प्रथम सत्र के समापन की ओर बढ़ रहे हैं।

सुस्थापित परम्परा के अनुसार, सभा की प्रथम बैठक अवसर की गरिमा के अनुरूप थोड़ी देर के लिए मौन रखने के साथ आरंभ हुई, तत्पश्चात् अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया, सत्र के दौरान 541 सदस्यों ने शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया।

3 जून, 2009 को अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव रखा गया। मैं, अध्यक्ष के सम्मानित पद हेतु लोक सभा द्वारा निर्विरोध निर्वाचित होने पर अत्यधिक सम्मानित हुई हूं। मेरे साथी श्री कड़िया मुडा जी भी 8 जून, 2009 को उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

आज सभा ने 4 जून, 2009 को दोनों सभाओं के सदस्यों को संबोधित माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया। यह प्रस्ताव 16 घंटे तक चली लम्बी चर्चा के उपरान्त स्वीकृत हुआ जिसमें 76 सदस्यों ने भाग लिया।

सदस्यों ने 'शून्य काल' के दौरान 8 अविलंबनीय लोक महत्व के मामले तथा नियम 377 के अधीन 37 मामले उठाए।